

भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4657
21 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य पोषण संवर्धन परियोजना

4657. श्री राजेश मिश्रा:
डॉ.के. सुधाकर:
श्री मनोज तिवारी:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी खाद्य पोषण संवर्धन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;
(ख) क्या सरकार देशभर में खाद्य सुदृढ़ीकरण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं के साथ सहयोग कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और विनिर्माताओं के बीच खाद्य सुदृढ़ीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(घ) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): प्रश्न की विषय-वस्तु प्रशासनिक रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएआई), शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों पर ज़ोर देते हुए 2018 में एनीमिया मुक्त भारत [एएमबी] पहल शुरू की गई थी। चावल खाने वाली आबादी के एक बड़े हिस्से को लक्षित करते हुए चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए एक पायलट कार्यक्रम 2019 में शुरू हुआ। इस पहल के विस्तार को सरकार ने 2022 में मंजूरी दी और मार्च 2024 तक, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत सभी कस्टम-मिल्ड चावल के वितरण को फोर्टिफाइड चावल से बदल दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2028 तक सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी, जिसका 100% वित्तपोषण (17,082 करोड़ रुपये) भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया है कि यह प्रश्न उनसे संबंधित नहीं है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूली बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को सुधारने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत भोजन तैयार करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का उपयोग किया जाता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एनीमिया को दूर करने के लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करता है। फोर्टिफिकेशन की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है कि योजना के तहत भोजन तैयार करने में डबल फोर्टिफाइड नमक (डीएफएस) और फोर्टिफाइड खाद्य तेल (विटामिन ए और डी के साथ)

का उपयोग किया जाना है। फोर्टिफाइड खाद्य तेल विटामिन ए और डी की कमियों को रोकने में मदद करता है। डबल फोर्टिफाइड नमक आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और धेंगा से निपटने में मदद करता है। फोर्टिफाइड चावल और गेहूं के आटे का उपयोग एनीमिया को कम करने में योगदान देता है और बच्चों में मानसिक, भावनात्मक और तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य को संबल प्रदान करता है।

पशुपालन और डेयरी विभाग ने इस प्रश्न के लिए अपनी शून्य जानकारी की पुष्टि की है। हालांकि, उनके द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (एनएफएन), एक पंजीकृत सोसायटी और ट्रस्ट अक्टूबर 2015 में गुजरात के आनंद में पंजीकृत है, जिसका उद्देश्य कुपोषण को खस्त करने के लिए पौष्टिक उत्पादों की पेशकश करके बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना और दूध और फोर्टिफाइड दूध उत्पादों की खपत को बढ़ावा देना है। प्रयास कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दान, अनुदान और कॉपरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) योगदान के माध्यम से धन की माँग करके एक स्वस्थ आहार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं। अपने गिफ्टमिल्क कार्यक्रम के तहत, एनएफएन ने 11 राज्यों के 257 स्कूलों में लगभग 41,700 बच्चों को कवर करते हुए 7.10 लाख लीटर दूध वितरित किया - जो 35.4 लाख बाल दूध दिवस के बराबर है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी इस प्रश्न के संबंध में अपनी शून्य जानकारी की पुष्टि की है। हालांकि, मंत्रालय ने बताया है कि 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुसरण में, वर्ष 2021-22 से गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डबल्यूबीएनपी) और किशोरियों हेतु योजना (एसएजी) के अंतर्गत सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले कुपोषण और एनीमिया से लड़ने में मदद मिलती है।

जहां तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) तीन प्रमुख योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें 2 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) शामिल हैं और 1 केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना है। देश भर में लागू की गई तीनों योजनाएँ माँग-आधारित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और विनिर्माताओं को अपने प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना/प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है।
